

## संसदीय वशिष्ठाधकार और संबंधित मामले

### प्रलिमिस के लिये:

अवशिवास प्रस्ताव, संसदीय वशिष्ठाधकार, [सर्वोच्च न्यायालय](#), संविधान के अनुच्छेद 105 और 194

### मेन्स के लिये:

संसदीय वशिष्ठाधकार, संसद और राज्य विधानमंडल

**सरोत: इंडियन एक्सप्रेस**

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने [पी. वी. नरसमिहा राव](#) बनाम राज्य (CBI/Spec) मामला, 1998, जसे झारखण्ड मुक्तमोर्चा (JMM) रशिवत मामले के रूप में भी जाना जाता है, में 25 वर्ष पुरानी बहुमत की राय को बदल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रशिवतखोरी संसदीय वशिष्ठाधकारों द्वारा संरक्षित नहीं है।

- पछिले फैसले में कहा गया था कि रशिवत लेने वाले सांसदों पर भ्रष्टाचार के लिये मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यदि वे सहमति के अनुसार मतदान करते हैं या सदन में बोलते हैं।

### पी. वी. नरसमिहा राव मामला और सर्वोच्च न्यायालय का हालया फैसला क्या था?

- मामले की पृष्ठभूमि:**
  - पी.वी. नरसमिहा राव मामला 1993 के झारखण्ड मुक्तमोर्चा (JMM) रशिवतखोरी मामले को संदर्भित करता है। इस मामले में कुछ सांसदों के खलिफ [अवशिवास प्रस्ताव](#) के विरुद्ध वोट करने के लिये रशिवत लेने का आरोप लगाया गया था।
  - इस मामले ने संसदीय प्रणाली के भीतर भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर किया, विधायी प्रक्रियाओं की अखंडता और नियाचति प्रतिनिधियों की जवाबदेही के बारे में चिताएँ उत्पन्न कीं।
- 1998 मामले में न्यायालय की टपिक्सी:**
  - वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने सांसदों (संसद सदस्यों) और [विधानसभा के सदस्यों](#) (विधायिकों) के लिये रशिवत के मामलों में अभियोजन से छूट की स्थापना की, जब तक कि वे सौदेबाजी के अंत को पूरा नहीं करते।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अवशिवास प्रस्ताव के खलिफ मत देने वाले रशिवत लेने वालों को संसदीय वशिष्ठाधकार (अनुच्छेद 105(2)) के तहत आपराधिक मुकदमे से छूट दी गई थी।
  - इस नियन्य ने शासन और संसदीय लोकतंत्र के कामकाज में स्थिरता के महत्व को रेखांकित किया।
  - न्यायालय की टपिक्सी ने व्यक्तिगत जवाबदेही पर सरकार के सुचारु संचालन को प्राथमिकता दी, यह सुझाव दिया कि रशिवतखोरी के लिये सांसदों पर मुकदमा चलाने से सरकार की स्थिरता संभावित रूप से बाधित हो सकती है।
- 2024 मामले में न्यायालय की टपिक्सी:**
  - 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पी. वी. नरसमिहा राव बनाम राज्य मामले, 1998 के 5-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को बदल दिया।
    - जसिमें यह स्थापति किया गया था कि संसद सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों को छूट प्राप्त थी यदि वे इसके लिये रशिवत लेने के बाद सदन में वोट देते थे।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक सदिधांतों और शासन पर रशिवतखोरी के हानिकारक प्रभाव पर ज़ोर दिया।
  - न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रशिवत लेना एक अलग आपराधिक कृत्य है, जो संसद या विधानसभा के भीतर सांसदों के मूल करतवयों से असंबंधित है।
    - [भ्रष्टाचार नियाचति प्रतिनिधिम](#) की धारा 7, 'लोक सेवक को रशिवत देने से संबंधित अपराध' से संबंधित है।
  - इसलिये संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत प्रदान की गई छूट रशिवतखोरी के मामलों तक विस्तारित नहीं होती है।
    - यह नियन्य भारत में एक जमिमेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र के आदरशों को बनाए रखने के लक्ष्य के साथ, केवल स्थिरता के बदले शासन में जवाबदेही एवं अखंडता को प्राथमिकता देने की दिशा में बदलाव का प्रतीक है।

## संसदीय वशिष्ठाधकार क्या हैं?

### ■ परचियः

- संसदीय वशिष्ठाधकार संसद के सदस्यों और उनकी समतियों को प्राप्त वशिष्ठ अधकार, उन्मुक्तयों एवं छूट हैं।
  - ये वशिष्ठाधकार भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 105** में परभिष्ठि हैं।
  - **अनुच्छेद 194** राज्यों की वधिन सभाओं के सदस्यों को समान वशिष्ठाधकार की गारंटी देता है।
- इन वशिष्ठाधकारों के तहत, संसद सदस्यों को अपने कर्तव्यों के दौरान दयि गए कसी भी बयान या कथि गए कार्य के लयि कसी भी नागरक दायतिव (लेकन आपराधिक दायतिव नहीं) से छूट दी गई है।
- संसद ने सभी वशिष्ठाधकारों को वसितृत रूप से संहिताबद्ध करने के लयि कोई वशिष्ठ कानून नहीं बनाया है। वे पाँच स्रोतों पर आधारति हैं:
  - संवैधानिक प्रावधान
  - संसद द्वारा बनाये गए वभिन्न कानून
  - दोनों सदनों के नियम
  - संसदीय सम्मेलन
  - न्यायक व्याख्याएँ

### ■ व्यक्तिगत सदस्य के वशिष्ठाधकारः

- संसद में **अभियक्ताकी स्वतंत्रता** {अनुच्छेद 105(1)}
- कसी सदस्य को संसद या उसकी कसी समति [अनुच्छेद 105(2)] में कही गई कसी बात या दयि गए वोट के संबंध में कसी भूत्यायालय में कसी भी कार्यवाही से छूट।
- कसी भी रपिरट, पेपर, वोट या कार्यवाही {अनुच्छेद 105(2)} के संसद के कसी भी सदन के अधकार के तहत या प्रकाशन के संबंध में कसी भी न्यायालय में कार्यवाही से कसी व्यक्तिको छूट।
- प्रक्रया की कसी भी कथति अनियमिता के आधार पर संसद में कसी भी कार्यवाही [अनुच्छेद 122(1)] कीवैधता की जाँच करने के लयि न्यायालयों पर प्रतिबंध।
- सदन या उसकी समतिकी बैठक जारी रहने के दौरान और बैठक शुरू होने से चालीस दनि पूरव व समाप्तसिविलि प्रक्रया संहिता, 1908 की धारा 135A) के चालीस दनि बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों की गरिफ्तारी से मुक्ति।

### ■ सदन का सामूहिक वशिष्ठाधकारः

- कसी सदस्य की गरिफ्तारी, हरिसत, दोषसदिधि, कारावास और रहिई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का सदन का अधकार।
- सभापति/अध्यक्ष की अनुमतिप्राप्त कथि बनि सदन के परसिर के भीतर गरिफ्तारी से छूट और कानूनी प्रक्रया।
- सदन की गुपत बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण।
- संसदीय समतिके समक्ष प्रस्तुत कथि गए साक्ष्य और उसकी रपिरट एवं कार्यवाही कोकोई भी तब तक प्रकट या प्रकाशति नहीं कर सकता जब तक कि इन्हें सदन के समक्ष न रखा जाए।
- कसी संसदीय समतिके समक्ष दयि गए साक्ष्य और उसके प्रतिविदन तथा उसकी कार्यवाही को कोकोई भी दयार तब तक प्रकट अथवा प्रकाशति नहीं कथि जा सकता जब तक कि उन्हें सभा पटल पर न रख दयि गया हो।
- संसद सदस्य अथवा सभा के पदाधकारी सभा की अनुमतिके बनान्यायालयों में सदन की कार्यवाही के संबंध में न तो कोई साक्ष्य दे सकते हैं, न ही कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं।

नोटः

- केरल राज्य बनाम के.अजति केस, 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिण्य कथि करि,"वशिष्ठाधकार और उन्मुक्तयों देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने का माध्यम नहीं है, वशिष्ठ रूप से आपराधिक कानून के मामले में जो प्रत्येक नागरकि की कार्रवाई को नियतरति करता है।"
- जुलाई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार की अपने वधियकों के खलिफ आपराधिक मामले वापस लेने की याचिका खारजि की जनि पर वधिनसभा में आरोप लगाए गए थे।

## संसदीय वशिष्ठाधकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ क्या हैं?

### ■ यूनाइटेड कणिङ्गमः

- वेस्टमसिटर की संसद को उक्त प्रकार के वशिष्ठाधकार प्राप्त हैं, जनिमें वाक् स्वतंत्रता, गरिफ्तारी से उन्मुक्ति और अपनी कार्यवाही को वनियमति करने का अधकार शामलि है।
- ये वशिष्ठाधकार कानून, सामान्य कानून और पूरव नरिण्य/उदाहरण के संयोजन के माध्यम से स्थापति कथि जाते हैं।

### ■ कनाडः

- कनाडा की संसद ने भी अपने सदस्यों के लयि वशिष्ठाधकार का प्रावधान कथि है जनिमें वाक् स्वतंत्रता, गरिफ्तारी से उन्मुक्ति और वशिष्ठाधकार के उल्लंघन के लयि देवति करने का अधकार शामलि है।
- ये वशिष्ठाधकार संविधान अधनियम, 1867 और कनाडा संसद अधनियम में उल्लिखिति हैं।

- **ऑस्ट्रेलिया:** ऑस्ट्रेलिया की संसद अपने संविधान में नहिति वशिष्ठाधकारों के साथ समान सदिधांतों का अनुपालन करती है। सदस्यों को वाक् स्वतंत्रता, गरिफ्तारी से उन्मुक्ति और अपनी कार्यवाही को वनियमति करने का अधकार प्राप्त है।

## संसदीय वशिष्ठाधकिरां को संहतिबद्ध करने की क्या आवश्यकता है?

### ■ संसदीय वशिष्ठाधकिरां को संहतिबद्ध करने की आवश्यकता:

- स्पष्टता और परशुद्धता: वशिष्ठाधकिरां को संहतिबद्ध करने से संसदीय वशिष्ठाधकिरां की स्पष्ट और सटीक परभिषा सुनिश्चित होगी। यह कसी भी अस्पष्टता को दूर करते हुए वशिष्ठाधकिरां के उल्लंघनों का स्पष्टीकरण करने में सहायता प्रदान करेगा।
  - एक संवधिकानुन एक सटीक सीमा स्थापित करेगा जिसके प्रावधानों के अतिरिक्त वशिष्ठाधकिर उल्लंघन के लिये कोई दंड नहीं दिया जा सकता है।
- वसितारति उत्तरदायतिव: संसदीय वशिष्ठाधकिर के लिये स्पष्ट दण्ड-निर्देश बेहतर उत्तरदायतिव तंत्र की सुवधा प्रदान करेंगे जिससे सांसद अपने वशिष्ठाधकिरां का ज़मिमेदारीपूरण उपयोग करने में सक्षम होंगे और साथ ही उनकी उचित जाँच तथा नरीकृषण भी किया जा सकेगा।
- आधुनिकीकरण और अनुकूलन: संसदीय वशिष्ठाधकिर को संहतिबद्ध करने से समकालीन शासन प्रथाओं और सामाजिक मानदंडों को प्रतिबिम्बित करने के लिये मौजूदा कानूनों को अद्यतन तथा आधुनिक बनाने का अवसर मिलेगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि विधियां वशिष्ठाधकिर तीव्रता से विकसित हो रहे राजनीतिक प्रदीश्य में प्रासंगिक तथा प्रभावी बने रहेंगे।
- नविंतरण एवं संतुलन: संहतिकरण से वशिष्ठाधकिरां पर नविंतरण और संतुलन स्थापित होगा, जिससे उनके दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। इससे प्रेस की स्वतंत्रता में अनावश्यक कटौती पर भी रोक लगेगी।

### ■ संसदीय वशिष्ठाधकिरां को संहतिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है:

- संसदीय स्वायत्तता पर अतिक्रमण का जोखमि: संसदीय वशिष्ठाधकिर को संहतिबद्ध करने से संसदीय मामलों को अधिक न्यायिक जाँच या सरकारी हस्तक्षेप के अधीन करके संभावित रूप से विधायिका की स्वायत्तता पर अतिक्रमण हो सकता है।
- संवैधानिक आदेश के विरुद्ध: अनुच्छेद 122 न्यायालय पर संसद की कार्यवाही की जाँच न करने के प्रतिबंध से संबंधित है। इसमें आगे नमिनलखिति कहा गया है: प्रक्रिया की कसी भी कथति अनियमितिता के आधार पर संसद में कसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
- लचीलेपन में कमी: संहतिकरण संसदीय वशिष्ठाधकिर के लचीलेपन को सीमित कर सकता है, जिससे अप्रत्याशित परस्थितियों अथवा बदलती राजनीतिक गतिशीलता के अनुकूल होना चुनौतीपूरण हो सकता है जिसके लिये विधायिकी मामलों हेतु अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है।
- जटिलता एवं लंबी प्रक्रिया: संसदीय वशिष्ठाधकिर को संहतिबद्ध करने की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है, जिसमें विधायिकों, कानूनी विषेषज्ञों तथा नागरिक समाज संगठनों सहित हतिधारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श एवं आम सहमति बनाने की आवश्यकता होती है।

## आगे की राह

- सुचारु कामकाज सुनिश्चित करने के लिये सदस्यों को संसदीय वशिष्ठाधकिर दिये जाते हैं। हालाँकि इन वशिष्ठाधकिरां को मौलिक अधिकारों के साथ संरेखित किया जाना चाहिये, क्योंकि सांसद नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यदि विशिष्ठाधकिर इन अधिकारों से टकराते हैं, तो लोकतंत्र अपना सार खो देता है। सांसदों को वशिष्ठाधकिरां का उपयोग ज़मिमेदारी से किया जाना चाहिये और साथ ही इसके दुरुपयोग से भी बचना चाहिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????????????????????:

प्रश्न. प्रनमिनलखिति में से कौन-सी कसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरौपिति करने के लिये रपिरेट भेजना।
2. मंत्रियों की नियुक्तिकरना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर्तव्य विधियों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित करना।
3. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नियम बनाना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2  
(b) केवल 1 और 3  
(c) केवल 2, 3 और 4  
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

????????????????????:

प्रश्न. "भाषण और अभियक्तिकी स्वतंत्रता" की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? क्या इसमें घृणास्पद भाषण भी शामिल है? भारत में फलिमें अभियक्तिके अन्य स्वरूपों से थोड़ा अलग धरातल पर क्यों खड़ी हैं? व्याख्या कीजिये. (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtilas.com/hindi/printpdf/parliamentary-privileges-and-related-cases>

